भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1016
सोमवार, 02 दिसम्बर, 2024 / 11 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईएसआईसी द्वारा समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करना

1016. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का विचार अपने लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर से सोसाइटियों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी वित्तीय लागत आएगी; और

(ग) सरकार द्वारा लाभार्थियों को प्रतिपूर्ति राशि समयबद्ध तरीके से तथा सम्यक रूप से अंतरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) राज्यों को अपने लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य ईएसआई सोसायटियों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सरकार ने 8 राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में सोसायटियों के गठन को मंजूरी दे दी है।

सोसायटी के गठन से राज्यों को समय-समय पर निर्धारित सीमा तक 100% व्यय का प्रोत्साहन प्राप्त करने का लाभ मिलता है, जो वर्तमान में प्रति बीमित व्यक्ति (आईपी) प्रति वर्ष 3,000 रुपये है, तथा उन्हें 1/8 लागत साझा नहीं करनी पड़ती है।

ईएसआईसी बीमित व्यक्तियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा बिलों के समय पर निपटान की नियमित निगरानी करता आ रहा है। क्षेत्रीय कार्यालयों को बिल प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का निपटान करने का अनुदेश दिया गया है।

*****